

न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू

नाम पीठासीन अधिकारी:- ओमप्रकाश सिंघल

निर्णय दिनांक :- 28.10.2022

सरकार बनाम विक्रम पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी रामनगर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू

मुकदमा नम्बर :-121/2022

किस्म मुकदमा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक :- 28.10.2022

:- आदेश :-

भू.अ. निरीक्षक बडागांव एवं पटवारी पटवार हल्का नाटास द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि ग्राम रामनगर नाटास के भूमि ख.न. 105 किस्म, गै0मु0 नदी में से 0.40 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्रमी विक्रम पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी रामनगर द्वारा उक्त भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी /अतिक्रमी द्वारा दिनांक 26.08.2022 को स्वयं उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया जो निम्न प्रकार से है:- यह है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम रामनगर के खसरा न0 105 में 0.40 है0 किस्म गै0मु0नदी राजकीय भूमि पर फसल बाजरा काशत कर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। ग्राम रामनगर के उक्त खसरा नम्बर 105 के संलग्न प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो कि बाहमी बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से में है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर ही काबिज काशतकार है तथा जानबूझकर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रखा है। प्रार्थी के खेत की सीमाएं अस्पष्ट होने के कारण यदि कोई अतिक्रमण हुआ है तो प्रार्थी द्वारा उसे हटा लिया जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरुद्ध श्रीमान जी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को निरस्त फरमाया जावे।

रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी हल्का, एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कि ग्राम रामनगर नाटास के भूमि ख.न. 105 किस्म, गै0मु0 नदी में से 0.40 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्रमी विक्रम पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी रामनगर द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण होने के कारण प्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा भू0अ0 निरीक्षक वडागांव को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1.00 का 50 गुणा 50/- रूपये मात्र बतौर शास्ती जुर्माना राशि आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक.....को खुले

न्यायालय में सुनाया गया।



नायब तहसीलदार गुढागौड़जी

